

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प. 4(7)नविवि/II/2019

जयपुर, दिनांक 19/07/19

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.07.2019 के क्रम संख्या-4 पर अंकित श्री अरूण शर्मा, आशु लिपिक का नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा से नगर परिषद, भीलवाड़ा में किया गया स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,



(कन्हैया लाल स्वामी)  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव-प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
6. सचिव, नगर परिषद, भीलवाड़ा।
7. संबंधित कर्मचारी।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।



(कैलाश चन्द्र कुमावत)  
शासन सहायक सचिव-द्वितीय